

KALAWATI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTER & HOSPITAL

GORHA, KASGANJ (U.P) 207123

IPD PATIENT 1 AUG 2020 TO 31 AUG 2020

DEPARTMENT

KAYACHIKITSA

PANCHKARMA

SHALYA

SHALAKYA

PRASUTI & STRI ROGA

KAUMARBHRITTYA

By the order of District Magistrate letter no.26/S.T.-D.M.-2020 dated 26/3/20 Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Center & Hospital , Gorha , Kasganj become Quarantine centre COVID-19 Level -1, So no OPD,IPD was done during the period from 27/3/20 to 07/02/21

पत्रांक: २

विश्व
को Pande
डिजीज एव
संख्या- 19
आपदा प्रबन्ध
उपधारा(जी)
गया है।

अतः

राजकीय वि
सम्भावित उ
इंस्टीट्यूशनल
सैन्टर एण्ड
कोविड-19 ए

उक्त

जनपद कास
क्वारेन्टाइन हे
मरीजों हेतु मे
चिकित्साधिका
मेडिकल काले
लगाना सुनिश्चि
चिकित्साधिका
उक्त अ

प्रतिलिपि:-

1. जिला मरि
2. पुलिस अध
3. मुख्य चिकि
4. निदेशक/
गोरहा, ज
5. समस्त सम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

6 / एसओटी०-डी०एम०-2020

दिनांक:- 26 मार्च, 2020

आदेश

स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण
epidemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक
एक्ट, 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 एवं शासनादेश
95//एक-11-200-रा०-11 दिनांक: 24.03.2020 के द्वारा भारत सरकार के
अधिनियम 2005 सपठित उ०प्र० आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2
के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया

उक्तानुसार कोरोना कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद में
चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज की
आवश्यकता के दृष्टिगत कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार/
न क्वारेन्टाइन किए जाने हेतु कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च
हॉस्पिटल, गोरहा जनपद कासगंज को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत करते हुए
एल-1 चिकित्सालय चिन्हित किया जाता है।

कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा
गंज का उपयोग आवश्यकता होने पर संदिग्ध मरीजों के उपचार एवं बचाव तथा
हेतु किया जाएगा। मेडिकल कालेज के निदेशक क्वारेन्टाइन किए जाने वाले
मेडिकल कालेज भवन में मूल-भूत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराएँगे तथा मुख्य
री कासगंज प्रशिक्षित राजकीय चिकित्सकों की ड्यूटी कलावती आयुर्वेदिक
एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा कासगंज पर आवश्यकतानुसार
रेंचत करेंगे तथा भर्ती मरीजों के उपचार एवं देखभाल का दायित्व मुख्य
री कासगंज का होगा।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए०के०श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

मजिस्ट्रेट महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्रीसक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कृषिअधिकारी कासगंज को अनुपालनार्थ।

प्रधानाचार्य, कलावती आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल,

जनपद- कासगंज को अनुपालनार्थ।

बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर जिला मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

का

पत्रांक : मु

प्रधानाचार्य
कलावती
गोरहा, ज

विषय : क
ए

अव
03.02.2021
आयुर्वेदिक
जाता है।
आपके उक्त

पत्रांक : मु

- प्रतिलिपि
1. मिशन
 2. जिला
 3. अपर मि
 4. मुख्य मि
 5. जिला

यालय : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज

0चि0अ0 / कोविड-19 / 2020-21 / 340

दिनांक : 05.02.2021

आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पिटल
जनपद कासगंज।

कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल को कोविड-19 के अन्तर्गत
एक्टिव कोरेन्टाइन समाप्त करने के सम्बन्ध में।

सूचित कराना है कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति कासगंज द्वारा दिनांक
05.02.2021 को आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कलावती
मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पिटल को एक्टिव कोरेन्टाइन से मुक्त किया
गया है। यदि कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार पांच दिवस पूर्व सूचना देकर
एक्टिव कोरेन्टाइन से मुक्त किया जा सकता है।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कासगंज

0चि0अ0 / कोविड-19 / 2020-21

तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -


निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ।

अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, कासगंज।

निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।

विकास अधिकारी, जनपद कासगंज।

कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, जनपद कासगंज।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कासगंज